संख्या-256/2023/3655/22-2-2022-17(409)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद इदरीश, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36310/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10-01-2022) दिनांक-17-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद इदरीश, जो ग्राम-तैय्यबपुर, थाना-शेररकोट, हाल पता-फरीदपुर उड्डा, जन्नत कालोनी चांदपुर की चुंगी, सिरधनी रोड टावर के पास, थाना- कोतवाली, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक-05-08-2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सी0डी0 देखने के बहाने नफीस को साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक-29-01-2021 तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने के कारण उसे जेल में निरूद्ध रखा जाना उचित होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक-05-08-2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सी0डी0 देखने के बहाने नफीस को साथ ले जाकर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद इदरीश को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहम्मद फुरकान (बन्दी संख्या-45416) पुत्र मोहम्मद इदरीश, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-256/2023/3655/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-256/2023/3655/22-2-2022-17(409)/2022

दिनांक 29 मई ,2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद इदरीश, जो ग्राम-तैय्यबपुर, थाना-शेररकोट, हाल पता-फरीदपुर उड्डा, जन्नत कालोनी चांदपुर की चुंगी, सिरधनी रोड टावर के पास, थाना- कोतवाली, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक-05-08-2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सी0डी0 देखने के बहाने नफीस को साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-34/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.04.2022 तक 15 वर्ष, 08 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के शातिर किस्म का अपराधी होने के कारण उसे जेल में निरूद्ध रखा जाना उचित होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने अवैध सम्बन्धों के कारण दिनांक-05-08-2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सी0डी0 देखने के बहाने नफीस को साथ ले जाकर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहम्मद फुरकान पुत्र मोहम्मद इदरीश को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।